हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

23.01.2020 राजपैरोकार उपस्थित अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी. पी.सी. पर सुना गया अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2016 को चक 13 जे.आर.के के पत्थर नम्बर 73/248 (25) के किला नम्बर 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील दायर करने पर अपील अपीलान्ट दिनांक 04.06.2018 को स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हुतु रिमाण्ड किया गया है। अतः चक 13 जे.आर.के के पत्थर नम्बर 73/248 (25) के किला नम्बर 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता का अंकन हटाया जाकर राजस्व अभिलेख में दिनांक 16.11.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अपनें पत्रांक भू.अ./रास्ता अति. अभियान/2016/08 दिनांक 11.11.2016 के द्वारा रास्ते जो मौके पर चालू है लेकिन इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं होनें पर राजस्व अभिलेख में अंकन करनें हेतु प्रस्तावित करनें पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.2016 को तहसीलदार हनुमागढ़ के पत्रांक 08 दिनांक 11.11.2016 में प्रस्तावित रास्ते को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 3 (2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करनें के आदेश प्रदान किये गये थे।

पत्रावली का गहन आवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है, कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवम् सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पत्र में जिन खातेदारान की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत हेतु अनुमति चाही है उन काश्तकारान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है।

अतः तहसीलदार हनुमानगढ़ के पत्र दिनांक 11.11.2016 में चाहे गये अनुतोष को खारिज किया जाकर पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज करते हुए पूर्व निर्णय दिनांक 16.11.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। यदि किसी पक्षकार को रास्ते की आवश्यक्ता है, तो वह नियमानुसार रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.05 13:42:14 IST
Reason: SelfAttested